सर्वोच्च प्राथमिकता

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-संविदा / तदर्थ कार्मिकों की सूचना (143) /2017-18// 4439 **// वाणिज्य कर**

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग) लखनऊ / दिनांक / 03 / नवम्बर 2017

विषय : विभाग में संविदा / तदर्थ एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत कार्मिकों की सूचना के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2288/11-3-2017-245/17 दिनांक 30-10-2017 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दि0 04-09-2017 के अनुपॉलन में **राज्याधीन सेवाओं में तदर्थ / संविदा / दैनिक वेतन पर कार्यरत कार्मिकों की सूचना निर्धारित प्रारुप-01, व प्रारुप-02 में तत्काल शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है ।**

उक्त के क्रम में अपर मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-27 रिट / का-2/2017 दिनांक 18-10-2017 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये आपसे अनुरोध है कि सन्दर्भित पत्र दिनांक 18-10-2017 के प्रस्तर-02 एवं 03 का संज्ञान लेते हुये अपने जोन से सम्बन्धित **समूह-ग एवं घ की सूचना निर्धारित प्रारुप-01, व प्रारुप-02** में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे वांछित सूचना शासन को प्रेषित की जा सके ।

- प्रारुप-1 -

दैनिक वेतन / संविदा / वर्कचार्ज पर कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में ।

जोन का नाम -

क्र0 सं0	समूह	दिनांक 31-12-2001 तक नियुक्त ऐसे कार्मिकों की संख्या, जिन्हें विनियमित नहीं किया गया			दिनांक 31-12-2001 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों की संख्या			अभ्युक्ति
		दैनिक वेतन	संविदा	वर्कचार्ज	दैनिक वेतन	संविदा	वर्कचार्ज	
1								
2								
3								
4								
योग								

- प्रारुप-2 -

तदर्थ रुप से नियुक्त किये गये कार्मिकों के सम्बन्ध में ।

जोन का नाम -

क्र0 सं0	समूह	दिनांक 30-06-1998 तक तदर्थ रुप से नियुक्त ऐसे कार्मिकों की संख्या, जिन्हें विनियमित नहीं किया गया		दिनांक 30-06-1998 के पश्चात तदर्थ रुप से नियुक्त कार्मिका की संख्या		अभ्युक्ति
		लोक सेवा आयोग के परिधि के अन्तर्गत	लोक सेवा आयोग के परिधि से बाहर	लोक सेवा आयोग के परिधि के अन्तर्गत	लोक सेवा आयोग के परिधि से बाहर	
1						
2						
3						
4						
योग						

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,
03.11.17
(वीरेन्द्र नारायण वर्मा)
डिप्टी कमिश्नर (स्थापना अराजपत्रित) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।

Shasan

फो 2280/11-3-2017/37468

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–27रिट/का–2/2017

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

245/17
SL-1

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

विषय :– राज्याधीन सेवाओं में तदर्थ/संविदा/दैनिक वेतन पर कार्यरत कार्मिकों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

....

महोदय,

मा. उच्चतम न्यायालय में श्री शिव नारायण नागर द्वारा दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–6183/2015 शिव नारायण नागर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2017 के अनुपालन में राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा/तदर्थ एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत कार्मिकों की सूचना एकत्रित कर शपथ–पत्र के माध्यम से नियत अवधि से पूर्व मा. उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया जाना है। मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक अंश निम्नवत् है :–

We have considered the affidavit filed on behalf of Respondent Nos.2 & 3, giving details of the employees working under the respondents.

Let a reply be filed by petitioners to the aforesaid affidavit, within four weeks from today. Respondent-State is also directed to file an affidavit, stating as to how many such employees are working on contract basis or ad-hoc basis or daily-wage basis in various other departments, including the one in question, of the State of U.P.

Let the requisite information be furnished on an affidavit within four weeks from today.

List thereafter.

It is made clear that the information to be submitted should be correct, otherwise the respondents will have to face the consequences for furnishing the wrong information.

2. ज्ञातव्य है कि दिनांक 31.12.2001 तक समूह–ग एवं घ के पदों पर दैनिक मजदूरी या कार्य–प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहें व्यक्तियों को विनियमित करने हेतु "उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" और समूह "घ" के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहें व्यक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2016" अधिसूचना संख्या–9/2016/2/1/97/का–2/2016 दिनांक 12.09.2016 निर्गत की गई है। उक्त नियमावली निम्नलिखित के विनियमितीकरण पर लागू नहीं होगी :–

(एक) मौसमी संग्रह अमीन/अमीन चपरासी;

(Handwritten margin notes: 5(MK)|VS(K), VS(R), 24.x.17, राजेन्द्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव, नियोजन एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, 102|VS(R)|16, JS(S), 25.10.17, (सतीश चन्द्र गौतम), निजी सचिव, विशेष सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)

(दो) उद्यान विभाग, कृषि विभाग और ऐसे समरूप विभागों में मौसमी कार्यों के लिये हुए/नियोजित/परिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों;

(तीन) राज्य सरकार की योजनाओं/परियोजनओं या भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में समेकित वेतन/नियत मानदेय पर लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों;

(चार) होम गार्ड स्वयंसेवक और प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवक के रूप में लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों;

(पाँच) शिक्षा मित्र और किसान मित्र के रूप में लगे हुए /नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों;

(छः) मनरेगा योजना (ग्राम्य विकास विभाग) के अधीन लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों;

(सात) आंगनबाड़ी केन्द्र (महिला एवं बाल कल्याण विभाग) में लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों;

(आठ) आशा बहू (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) में लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों,

(नौ) ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

3. इसी प्रकार तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रांतर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 एवं उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 अधिसूचना दिनांक 20.12.2001 निर्गत की गई है। उक्त नियमावली में दिनांक 30.06.1998 तक या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त कार्मिकों को विनियमित किये जाने का प्राविधान है।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 04.09.2017 के अनुपालन में उपर्युक्त प्रस्तर-2 एवं 3 का संज्ञान लेते हुए, राज्याधीन सेवाओं में तदर्थ/संविदा/दैनिक वेतन पर कार्यरत कार्मिकों की सूचना, संलग्न प्रारूप-I एवं II पर, शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि शपथ-पत्र के माध्यम से वांछित सूचना मा. उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।